"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2007—फाल्गुन 4, शक 1928

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से. (1972), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन एवं विमानन विभाग, परिवहन आयुक्त तथा कृषि उत्पादन आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री पी. जॉय ओमेन, भा. प्र. से. (1977), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से. (1978), अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, प्रमुख सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम तथा आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, पर्यटन तथा संस्कृति विभाग एवं आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व तथा समन्वयक, महिला कल्याण कार्यक्रम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से. (1978), प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही अतिरिक्त रूप से प्रमुख सचिव, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

5. श्री एस. व्ही. प्रभात, भा. प्र. से. (1979) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, गृह, जेल, परिवहन तथा विमानन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री एम. के. राऊत, भा. प्र. से. (1984), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

7. डॉ. आलोक शुक्ला, भा. प्र. से. (1986), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य, सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य, सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त, तथा सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

8. श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से., (1989), आयुक्त, आदिवासी विकास, समन्वयक, सलवा जुडूम प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास, राहत शिविरों की मॉनीटरिंग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिवासी विकास, समन्वयक, सलवा जुडूम प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास, राहत शिविरों की मॉनीटरिंग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

9. श्री बी. के. एस. रे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-1954 के नियम-9 (I) के अंतर्गत महानिदेशक, प्रशासन अकादमी के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी के ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची 3 (ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. बगाई,** मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री एस. व्ही. प्रभात, भा. प्र. से. (1979) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल, परिवहन तथा विमानन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से. (1983) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

3. श्री एन. के. असवाल, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर, डॉ. आलोक शुक्ला, केवल सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

4. श्री सुनील कुजूर, भा. प्र. से. (1986) पंजीयक, सहकारी संस्थाएं को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

5. श्री विवेक ढॉंड, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग का कार्य यथावत् सम्पादित करते रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शिवराज सिंह**, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक ई-1-1/2007/एक/2.—श्री आर. पी. बगाई, भा. प्र. से. (सी. जी.-1970) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, दिनांक 31-01-2007 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद पर श्री शिवराज सिंह, भा. प्र. से. (सी. जी.-1973), अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, खनिज साधन, सूचना प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेणु जी. पिल्ले**, सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा. प्र. से., संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 12-02-2007 से 15-02-2007 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11, 16, 17 एवं 18-02-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी आगामी आदेश तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 04-01-2007 से 24-01-2007 तक (21 दिवस) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. के. बाजपेयी**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 107/33/2007/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 15-01-2007 से 19-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2007

क्रमांक 149/56/2007/1-8/स्था.—श्री आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीगसढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 5-2-2007 से 24-2-2007 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. गुप्ता को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देयं होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार सिंह**, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1442/228/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महेन्द्र राजपूत, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला-दुर्ग के लिए तृतीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1444/228/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री आदित्य ताम्रकार, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला-दुर्ग के लिए चतुर्थ अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1446/228/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला-दुर्ग के लिए पंचम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 1448/228/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दीपक कुमार नामदेव, अधिवक्ता, दुर्ग, जिला-दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला-दुर्ग के लिए षष्ठम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. पाठक**, उप-सचिव.

---

## योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
## (वित्त तथा योजना विभाग)
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 4-4/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गोपाल शर्मा, अध्यक्ष, भा. ज. पा., डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग खरसिया, जिला रायगढ़, छ. ग. एवं श्री गुरूपाल भल्ला, महामंत्री, जिला भा. ज. पा., माल धक्का रोड़, रायगढ़, छ. ग. को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिए जिला योजना समिति, जिला-रायगढ़ में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 4-9/06/23/वियो.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 (ग) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री गौतम जी पारख, गंज लाइन राजनांदगांव, संरक्षक समता मंच, सदन बाजार राजनांदगांव एवं श्री अब्दुल्ला युसुफ, अध्यक्ष, अभिलाषा नि:शक्तों के कल्याणार्थ शिक्षण प्रशिक्षण सह पुनर्वास संस्थान, बल्देवबाग राजनांदगांव, छ. ग. को तत्काल प्रभाव से जिला योजना समिति की कार्य अवधि तक के लिए जिला योजना समिति, जिला-राजनांदगांव में सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. के. बिशी**, विशेष सचिव.

## खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 5-17/खाद्य/2003/29.—छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 919/245/XXI-B/C. G./2007 दिनांक 24 जनवरी, 2007 द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को सौंपी गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष अंकित कॉलम 3 में दर्शाये गये जिले में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम एवं रजिस्ट्रार, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के पद पर पदस्थ करता है :-

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम | पदस्थापना जिला |
|---|---|---|
| 1. | श्री महेन्द्र कुमार तिवारी, संचालक, न्यायिक अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, उच्च न्यायालय, बिलासपुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर |
| 2. | श्री के. पी. कुर्रे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बिकापुर. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, अम्बिकापुर |
| 3. | श्री लाखन सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजनांदगांव. | अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, रायगढ़ |
| 4. | श्री शिवमंडल पाण्डे, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर. | रजिस्ट्रार, छ. ग. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**पी. एस. तिवारी,** अवर सचिव.

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 फरवरी 2007

क्रमांक/953/1089/07/25-2/आ.जा.वि.—छत्तीसगढ़ राज्य अनु. जाति आयोग अधिनियम 1995 अध्याय दो की कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग में निम्नानुसार अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति करता है.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री चोवादास खाण्डेकर, निवासी भथरी (तखतपुर) तहसील मुंगेली, जिला बिलासपुर (छ. ग.) | अध्यक्ष |
| 2. | श्री भूषणलाल जांगड़े, निवासी रायपुर (छ. ग.) | सदस्य |
| 3. | श्री रामजी भारती, निवासी राजनांदगांव (छ. ग.) | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. मिंज,** अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक 997/1560/07/25-2/आजावि.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 अध्याय दो की कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लोचन पटेल, निवासी प्रेमनगर, सिक्रोलाभाठा, जिला-दुर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ओमेगा युनाईस टोप्पो**, उप-सचिव.

---

## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 1-10/2003/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियम में,-

1. नियम 2 के उप नियम (झ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम (ञ) अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग.

2. नियम 11 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 और शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे."

3. नियम 5 की अनुसूची एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)

| अनुक्रमांक (1) | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2) | पदों की संख्या (3) | वर्गीकरण (4) | वेतनमान (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अपर संचालक, उद्योग | 01 | प्रथम श्रेणी | 14300-18300 |
| 2. | संयुक्त संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक | 09 | प्रथम श्रेणी | 12000-16500 |
| 3. | उप संचालक उद्योग/महाप्रबंधक | 24 | प्रथम श्रेणी | 10000-15200 |
| 4. | सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक | 73 | द्वितीय श्रेणी | 8000-13500 |
| 5. | लेखा अधिकारी | 01 | द्वितीय श्रेणी | 8000-13500 |

4. नियम 6 के उप नियम (2) की अनुसूची दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थपित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-दो
[ नियम-6 (2) देखिए ]

| क्रमांक | विभाग का नाम | सेवा का नाम | पदों के नाम | भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कर्त्तव्य पदों की कुल संख्या | सीधी भरती द्वारा, देखिए नियम 6 (क) | सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, देखिए नियम 6 (ख) | टिप्पणी |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा | अपर संचालक उद्योग | 01 | निरंक | 100% | |
| 2. | | | संयुक्त संचालक उद्योग/मुख्य महाप्रबंधक | 09 | निरंक | 100% | |
| 3. | | | उप संचालक उद्योग/महाप्रबंधक | 24 | निरंक | 100% | |
| 4. | | | सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक | 73 | 50% | 50% | |
| 5. | | | लेखा अधिकारी | 01 | कोष एवं लेखा के संचालनालय से प्रतिनियुक्ति पर | | |

5. नियम 8 के अनुसूची तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

| विभाग का नाम | सेवा का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | शैक्षणिक अर्हता | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक. | 21 वर्ष | 30 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातुकर्म, रसायनिक इन्जीनियरिंग या औद्योगिक रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विशेष विषय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स में उपाधि. | |

6. नियम 14 के उप नियम (1) की अनुसूची चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-चार
[ नियम 14 (1) देखिए ]

| अ. क्र. | विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | पात्रता की कालावधि (वर्ष) | सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | वाणिज्य एवं उद्योग विभाग. | संयुक्त संचालक उद्योग/ मुख्य महाप्रबंधक. | 3 वर्ष | अपर संचालक उद्योग | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य-अध्यक्ष. | |
| 2. | | उप-संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक. | 3 वर्ष | संयुक्त संचालक उद्योग/मुख्य महा-प्रबंधक. | अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग-सदस्य. | |
| 3. | | सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक | 7 वर्ष | उप संचालक उद्योग/ महाप्रबंधक. | संचालक उद्योग-सदस्य. | |
| 4. | | सहायक प्रबंधक | 7 वर्ष | सहायक संचालक/ प्रबंधक. | | |

Raipur, the 8th February 2007

No. F-1-10/2003/11/(6).—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh State Industries (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1985, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (i) of rule 2 the following sub-rule (j) shall inserted, namely :-

"Other Backward Classes" means the Other Backward Classes declared by the State government from time to time by notification.

2. For the sub-rule (3) of rule 11 the following rule shall be substituted, namely :-

"At the time of recruitment in the service the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 and the direction issued under the Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable".

3. For Schedule-I of rule 5 the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

| S.No. (1) | Name of Posts included the service (2) | No. of Posts (3) | Classification (4) | Scale of Pay (5) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Additional Director of Industries | 01 | Class-I | 14300-18300 |
| 2. | Joint Director of Industries/Chief General Manager. | 09 | Class-I | 12000-16500 |
| 3. | Deputy Director of Industries/General Manager. | 24 | Class-I | 10000-15200 |
| 4. | Assistant Director of Industries/Manager | 73 | Class-II | 8000-13500 |
| 5. | Account Officer | 01 | Class-II | 8000-13500 |

4. For Schedule-II for sub-rule (2) of rule 6 the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE II
[ See Rule-6 (2) ]

| Sl. No. | Name of Department | Name of Service | Name of posts | Percentage of the number of duty posts to be filled | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total No. of duty posts | By direct recruitment vide rule 6 (a) | By promotion of substantive member of the service vide rule 6 (b) | Remark |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Commerce and Industry Department. | Chhattisgarh State Industries Gazetted Service. | Additional Director of Industries. | 01 | Nil | 100% | |
| 2. | | | Joint Director of Industries / Chief General Manager. | 09 | Nil | 100% | |
| 3. | | | Deputy Director of Industries / General Manager. | 24 | Nil | 100% | |
| 4. | | | Assistant Director of Industries/ Manager. | 73 | 50% | 50% | |
| 5. | | | Account Officer | 01 | On deputation from the Directorate of Treasuries and Accounts. | | |

5. For Schedule-III of rule 8 the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-III
(See Rule-8)

| Name of Department (1) | Name of Service (2) | Minimum age limit (3) | Upper age limit (4) | Educational Qualification (5) | Ramark (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce and Industry Department. | Assistant Director of Industries/Manager. | 21 years | 30 years | A degree from a recognized University in Electrical, Electronics, Metallurgical or Chemical Engineering or Industrial Chemistry, Commerce, Economics, Physics, Chemistry, With Electronics as a Special Subject. | |

6. For Schedule-IV of sub-rule (1) of rule 14 the following Schedule shall be substituted, namely :-

SCHEDULE-IV
[ See Rule-14 (1) ]

| Sl. No. (1) | Name of Department (2) | Name of Service or post from which promotion is to be made (3) | Eligibility period years (4) | Name of Service or post to which promotion is to be made (5) | Name of Member of the Departmental Promotion Committee (6) | Remark (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Commerce and Industry Department. | Joint Director of Industries/Chief General Manager. | 3 Year | Additional Director of Industries. | Chairman Chhattisgarh Public Service Commission or any member nominated by the CHAIRMAN. | |
| 2. | | Deputy Director of Industries/ General Manager. | 3 Year | Joint Director of Industries/ Chief General Manager. | Add. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Commerce and Industry Department-MEMBER. | |
| 3. | | Assistant Director of Industries/ Manager. | 7 Year | Deputy Director of Industries/General Manager. | Director Industry-MEMBER. | |
| 4. | | Assistant Manager | 7 Year | Assistant Director of Industries/ Manager. | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**शंकरराव ब्राहम्णे**, उप-सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 2 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | केशकाल | सिकागांव | 0.732 | कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर. | बहीगांव-सिकागांव मार्ग के कि. मी. 5/2 पर गौरबहार नाला सेतु पर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल अथवा कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर, जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | बड़ांजी प. ह. नं. 20 | 312.75 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/7/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | बड़े परोदा प. ह. नं. 19 | 150.75 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/8/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | बेलर प. ह. नं. 20 | 213.95 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, ज़िला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | बेलियापाल प. ह. नं. 19 | 141.68 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | छिन्दगांव प. ह. नं. 20 | 57.29 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/11/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | दाबपाल प. ह. नं. 18 | 213.59 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/12/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | धुरागांव प. ह. नं. 19 | 276.45 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/13/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | कुम्हली प. ह. नं. 20 | 62.14 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/14/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | टाकरागुड़ा प. ह. नं. 20 | 189.20 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/15/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | सिरिसगुड़ा प. ह. नं. 64 | 166.42 | संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर. | तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा महाप्रबंधक, ज़िला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. एस. मिश्रा,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1026/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | केकतीटोला प. ह. नं. 07 | 0.492 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1027/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | तेलीटोला प. ह. नं. 09 | 0.240 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1028/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | किलारगोदी प. ह. नं. 09 | 0.172 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1029/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | भड़सेना प. ह. नं. 20 | 0.870 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1030/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | मोंगरा प. ह. नं. 21 | 4.263 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1031/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला. | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | ब्राहम्णभेड़ी प. ह. नं. 09 | 0.410 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1032/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | धानापायली प. ह. नं. 19 | 0.137 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1033/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | हाथीकन्हार प. ह. नं. 20 | 0.528 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1034/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| राजनांदगांव | अं. चौकी | सेम्हरबांधा प. ह. नं. 20 | 0.331 | कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव. | मोंगरा बॅराज परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर/लघु नहर निर्माण के लिए है. (अनुपूरक) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एस. विश्वकर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | भेण्ड्रा प. ह. नं. 24 | 9.682 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ+स, रायगढ़. | घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भेण्ड्रा की निजी भूमि का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | बैहामुड़ा प. ह. नं. 24 | 5.005 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ+स, रायगढ़. | घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बैहामुड़ा की निजी भूमि का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | घरघोड़ा प. ह. नं. 24 | 8.593 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ+स, रायगढ़. | घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम घरघोड़ा की निजी भूमि का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 जनवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | कंचनपुर प. ह. नं. 24 | 4.645 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भ+स, रायगढ़. | घरघोड़ा बाईपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम कंचनपुर की निजी भूमि का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | झरन प. ह. नं. 5 | 7.086 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़. | झरन जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर (आर. बी. सी. एवं एल. बी. सी.) निर्माण, डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | घरघोड़ा | खम्हार प. ह. नं. 5 | 19.512 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़. | झरन जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर (आर. बी. सी. एवं एल. बी. सी.) निर्माण, डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. के. राजू**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1035/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भाठा बम्हनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.82 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 423/3 | 0.05 |
| 426/1 | 1.15 |
| 426/2 | 0.30 |
| 426/3 | 0.10 |
| 426/6 | 0.28 |
| 438/3 | 1.00 |
| 435/1 | 0.38 |
| 435/3 | 0.38 |
| 437/1 | 0.27 |
| 437/3 | 0.84 |
| 438/2 | 1.62 |
| 438/8 | 0.20 |
| 438/10 | 0.25 |
| 440/2 | 2.00 |
| 440/3 | 2.84 |
| 441/1 | 0.05 |
| 441/2 | 0.75 |
| 441/3 | 0.22 |
| 442/6 | 0.16 |
| 441/4 | 0.80 |
| 442/5 | 0.40 |
| 441/5 | 0.21 |
| 441/6 | 0.21 |
| 442/2 | 0.33 |
| 442/7 | 0.17 |
| 441/7 | 0.35 |
| 441/8 | 0.40 |
| 441/9 | 0.27 |
| 441/10 | 0.28 |
| 442/1 | 0.39 |
| 442/8 | 0.20 |
| 442/3 | 0.80 |
| 442/4 | 0.50 |
| 442/9 | 0.40 |
| 442/10 | 0.20 |
| 438/9 | 0.07 |
| योग 36 | 18.82 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बॅराज पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 फरवरी 2007

क्रमांक/1036/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-जन्तर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.34 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 | 1.34 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 2/1 | 0.40 |
| | 9/2 | 0.60 |
| योग | 6 | 2.34 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बॅराज पुनर्वास एवं पुनर्बसाहट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/1303/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-आमगांव, प. ह. नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.413 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 901/1 | 0.085 |
| | 687/1 | 0.028 |
| | 260/8 | 0.041 |
| | 309 | 0.121 |
| | 816/2 | 0.020 |
| | 667/4 | 0.061 |
| | 269/3 | 0.065 |
| | 269/4 | 0.057 |
| | 343 | 0.020 |
| | 107/2 | 0.024 |
| | 260/17 | 0.020 |
| | 667/2 | 0.085 |
| | 670/3 | 0.101 |
| | 679/2 | 0.141 |
| | 307/1 | 0.032 |
| | 708/1 | 0.073 |
| | 701/2 | 0.032 |
| | 700/2 | 0.040 |
| | 680 | 0.024 |
| | 701/1 | 0.020 |
| | 705 | 0.032 |
| | 700/1 | 0.036 |
| | 708/2 | 0.061 |
| | 113/1 | 0.105 |
| | 307/3 | 0.028 |
| | 667/1 | 0.061 |
| योग | 26 | 1.413 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बॅराज परियोजना के डोंगरगांव वितरक नहर एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/1304/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-चिरचारीखुर्द, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.653 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 378/13 | 0.032 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 583/6 | 0.061 |
| | 645 | 0.012 |
| | 92/4 | 0.081 |
| | 92/9 | 0.081 |
| | 600/2 | 0.121 |
| | 525/6 | 0.032 |
| | 600/5 | 0.012 |
| | 340/2 | 0.040 |
| | 641 | 0.040 |
| | 92/3 | 0.020 |
| | 583/16 | 0.020 |
| | 395/5 | 0.101 |
| योग | 13 | 0.653 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - मोंगरा बॅराज परियोजना के डोंगरगांव वितरक नहर एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/1305/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-करियाटोला, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.559 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|---|
| | 11/1 | 0.041 |
| | 11/4 | 0.032 |
| | 11/5 | 0.344 |
| | 11/6 | 0.081 |
| | 11/13 | 0.061 |
| योग | | 0.559 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बॅराज परियोजना के डोंगरगांव वितरक नहर एवं लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोंगरा बॅराज परियोजना, जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. एस. विश्वकर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 6th February 2007

No. 926/III-22-3/2000 (Baloda Bazar Simga).—In the Registry Notification No. 533/III-22-3/2000 (Baloda Bazar-Simga), Bilaspur, dated 22-1-2007 in English Version (In the 6th line) "Civil Judge Class-I" shall be read as "Civil Judge Class-II".

(H. S. MARKAM)
Registrar General.